भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4627

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

किफायती किराए की आवास योजनाएँ

†4627. डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरी क्षेत्रों में विशेषकर निम्न आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर के विभिन्न शहरों में प्रवासी कामगारों और शहरी प्रवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किफायती किराया आवास योजनाओं के विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देशभर में यातायात की भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने हेतु शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध करना है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू के तहत अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.15 लाख आवासों सहित कुल 119.31 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 112.98 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया और दिनांक 04.08.2025 तक देश भर में 93.81 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें निम्न आय वाले परिवार भी शामिल हैं।

(ख) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश में सिंगल/डबल बेडरूम इकाइयों या डॉरमेट्री बेड के माध्यम से शहरी प्रवासियों/गरीब कामगारों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक आवास प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) शुरु किए हैं। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एआरएचसी के लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के शहरी प्रवासी/गरीब हैं। इनमें श्रमिक, शहरी गरीब (पथ विक्रेता, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), औद्योगिक कामगार और बाजार/व्यापार संघों, शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र के प्रवासी कामगार, होस्टलों में रहने वाली कामकाजी महिला, दीर्घकालिक पर्यटक/आगंतुक, छात्र या ऐसी श्रेणी के अन्य व्यक्ति शामिल हैं।

मॉडल-1 के तहत, अब तक, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा वित्तपोषित 5,783 मौजूदा खाली आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित किया जा चुका है। मॉडल-2 के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 7 राज्यों में 83,298 नई किफायती किराया आवास परिसर इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है, जिनमें से 36,450 किफायती किराया आवास परिसर इकाइयां पूरी की जा चुकी हैं और शेष प्रारंभिक निर्माण चरण/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक का उद्देश्य विशेष रूप से इस क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक/निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करके एक अनुकूल वातावरण बनाकर किफायती किराया आवासों के निर्माण को बढ़ावा देना है। यह उन प्रवासी श्रमिकों, औद्योगिक श्रमिकों सहित पात्र लाभार्थियों के लिए लिए देश भर के विभिन्न शहरों में पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देता है, जो अपना आवास खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पावधि के लिए आवास की आवश्यकता होती है। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक/निजी संस्थाएं पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए सिंगल/डबल बेडरूम यूनिट या डोरमेटरी बेड वाली एआरएच परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव कर सकती हैं।

(ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी गतिशीलता में सुधार लाने और भीड़भाड़ व कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई अग्रणी पहलें शुरू कर रहा है। मुख्य प्रयासों में प्रमुख शहरों

में मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क का विस्तार, 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए पीएम-ईबस सेवा योजना का कार्यान्वयन, तथा व्यापक गतिशीलता योजनाओं के माध्यम से एकीकृत एवं सतत परिवहन योजना को बढ़ावा देना शामिल है।

दिनांक 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई "पीएम-ई-बस सेवा योजना" का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ सिटी बस संचालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3-40 लाख की आबादी वाले शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियाँ इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार ने स्थायी गतिशीलता प्राप्त करने हेतु मेट्रो रेल सहित सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं की व्यवस्थित योजना बनाने हेतु मेट्रो रेल नीति, 2017 जारी की है। वर्तमान में, देश भर के 24 शहरों में आरआरटीएस सहित लगभग 1,053 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू है।

*****